।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी — श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प — ग्राम पंचायत खेडली सैयद

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 3/33 तारीख रज्जू 17.09.2020

01— ईशाक पुत्र सरसा जाति मेव निवासी ग्राम डाडा तहसील अलवर

—प्रार्थी

बनाम

01— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अलवर। —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

—: निर्णय :— दिनांक: 27.12.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता की खातेदारी की आराजी ग्राम डाडा तहसील अलवर में स्थित है। गत खसरा नम्बर 45 जिसके हाल खसरा नम्बर 161, 171, 172, 177, 179, 180, 181, 189, 194, 191/578 बने है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2043—2050 में प्रार्थी के पिता का नाम सरसा पुत्र निजरू कोम मेव सा. देह खातेदार अंकित है। लेकिन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2070 में सहवन से सरसा पुत्र निरंजन कोम मेव अंकित कर दिया गया। उक्त गलत इन्द्राज होने से प्रार्थी के हकूकों पर गलत असर पडता है। गलत इन्द्राज होने से प्रार्थी को भारी परेशानी है। पुराने राजस्व रिकॉर्ड में सही इन्द्राज चला आ रहा था भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत इन्द्राज किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में सरसा पुत्र निरंजन का नाम डिलिट किया जाकर सरसा पुत्र निजरू दुरूस्त करने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट तलब की गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021, कैम्प खेडली सैयद में पेश हुई।

प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत खेडली सैयद द्वारा की गई। प्रार्थी को सुना। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व रिकॉर्ड में सरसा पुत्र निरंजन का नाम डिलिट किया जाकर सरसा पुत्र निजरू दुरूस्त करने का निवेदन किया गया है। कैम्प खेडली सैयद में नायब तहसीलदार द्वारा मौका पर्चा पेश किया गया। जिस पर पटवारी हलका, भू.अ.नि. देसूला, सरपंच ग्राम पंचायत खेडली सैयद एवं प्रार्थी ईशाक तथा ग्रामवासीयों के हस्ताक्षर है। मौका पर्चा में हाल रिकॉर्ड जमावन्दी में दर्ज नाम सरसा पुत्र निरंजन जाति मेव गलत दर्ज बतलाया गया है। सरसा पुत्र निजरू कोम मेव सा. देह को सही बतलाया है।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा फोटोप्रति जमावन्दी सम्वत 2051–2070 एवं जमावन्दी सम्वत 2047–2050, नकल मिलान क्षेत्रफल 2051–2070, मृत्यु प्रमाण पत्र सरसा पुत्र निजरू खान, फोटोप्रति आधार कार्ड संख्या 228712293849 ईशाक खां पुत्र सरसा, तहसीलदार अलवर, रिपोर्ट दिनांक 10.10.2020, प्रमाणित प्रति जमावन्दी सम्वत 2069–2074, प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल 2051–2070, प्रमाणित प्रति जमावन्दी सम्वत 2047 पर मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट के आधार पर हाल खसरा नम्बर 161, 171, 172, 177, 179, 180, 181, 189, 194, 191/578 वाके ग्राम डाडा तहसील अलवर में सरसा पुत्र निरंजन के स्थान पर सरसा पुत्र निजरू दर्ज किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार अलवर को, हाल खसरा नम्बर 161, 171, 172, 177, 179, 180, 181, 189, 194, 191/578 वाके ग्राम डाडा तहसील अलवर में

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

सरसा पुत्र निरंजन के स्थान पर सरसा पुत्र निजरू दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2712.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत खेडली सैयद में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)